



197  
197  
34900  
194  
न्यायालय  
जावेदक  
प्र०

न्यायालय- माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर, केम्प- सागर मोप्र०  
रामकृष्णाल तनय हल्का यादव, उम्र करीब 55 साल  
निवासी- ग्राम बंधी गुर्द, सर्किल ईशानगर, तह० व जिला छतरपुर मोप्र०

..... आवेदक.

// बनाम //

1. मनीराम तनय रमला कुम्हार,  
निवासी- बौड़ा, सर्किल ईशानगर, तह० व जिला छतरपुर मोप्र०
2. मध्य प्रदेश शासन ..... अनावेदकगण.

निगरानी अन्तर्गत धारा- 50 मो प्र० भू- राजस्व तंहिता 1959.

यह निगरानी, अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर के निगरानी प्र० क्र०-023/19 वर्ष 2003-04 में पारित आवेदा दिनांक-23.12.2013 के विलम्ब निम्न लिखित तथ्यों व आधारों पर माननीय न्यायालय के समय प्रस्तुत है :-

प्रकरण के संविप्ति तथ्य

1. यह कि, मो प्र० शासन एवं श्रीमान कलेक्टर महोदय छतरपुर के निर्देशानुसार राजस्व पुस्तक परिपत्र क्षण-4 क्रमांक-3 के अनुसार मौजा ग्राम दौघन पुरवा स्थित भूमियों का आवंटन श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय प्रभारी ऐवं ईशानगर द्वारा दिनांक-26.8.98 को अनावेदक मनीराम कुम्हार को भूमि खारा नं. 229 रकवा 0.324 एवं खारा नं. 201 रकवा 0.210 हेठो भूमि का वंटन कर दिया गया जिसमें से भूमि खारा नं. 229 रकवा 0.324 हेठो पर आवेदक का पूर्वजों के समय से कृषि कार्य कर पाल बोकर मौके पर कड़ा आज तक चला आ रहा है, जिसमें आवेदकगण की उक्त कृषि भूमि के बीचोंबीच में 0.324 आरे का टुकड़ा है। मोप्र० शासन राजस्व पुस्तकपरिपत्र क्षण-4 क्रमांक-3 में स्पष्ट प्रावधान दिया है कि, भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि के बीच में कोई शासकीय टुकड़ा हो उसे कास्तकार को जो कृषि कार्य कर रहा है उसे दिया जावेगा।
2. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने त वंटन अधिकारी ने इस बात

... 2.

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ  
प्रकरण क्रमांक. ३८५६-ट।।४ जिला ..... उत्तराखण्ड .....